प्रेस नोट **02/07/2024**

आज दिनांक 02.07.2024 को पुलिस लाईन मऊ में आयोजित, उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोन, की 29वीं अन्तरजनपदीय कुश्ती क्लस्टर (महिला/पुरुष), कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग व आर्म रेसलिंग दो दिवसीय प्रतियोगिता–2024 का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा फीता काटकर किया गया। उक्त प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 09 जनपदों क्रमशः जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, भदोही, वाराणसी व मऊ ने प्रतिभाग किया जिनमें 99 पुरुष व 25 महिला सहित कुल 124 खिलाड़ी शामिल हैं। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री सहित समस्त क्षेत्राधिकारीगण व भारी संख्या में पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 02.07.2024 को दोषसिद्ध एक किशोर को मु0अ0सं0 87/22 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधि0, मु0अ0सं0 86/22 धारा 419,420,367,368,471भादवि थाना सरायलखंसी में कारित अपराध के लिए 06 माह राजकीय जिला चिकित्सालय गाजियाबाद ग्रैंड ट्रंग रोड के देखरेख में सामुदायिक सेवा का आदेश दिया गया तथा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 83/2022 धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0 488/21 धारा 379 भादवि में कारित अपराध के लिये राजकीय संप्रेषण गृह एवं जिला कारागार के किशोर सेल में बिताई गयी अवधि से दंडित किया गया। साथ ही साथ मु0अ0सं0 105/2006 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध किशोर को कारित अपराध के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोपागंज में 02 माह तक सामुदायिक सेवा कारने का आदेश दिया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि व अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 02-07-2024 को मु0अ0सं0 81/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त राजू साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी ककराडीह थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि एवं ₹2100 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा। साथ ही साथ मु0अ0स0 160/1990 धारा 323,324 भादवि थाना मधुबन दोषसिद्ध अभियुक्त बेचन पुत्र सुखदेव निवासी मित्तनपुर थाना मधुबन को कारित अपराध के लिए 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सिताबु शाह थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 02.07.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर फत्तनपुरा से वारण्टी गुपचन्द उर्फ गोपीचन्द पुत्र त्रिभुवन निवासी फत्तनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ तथा वारण्टी घुरा हरिजन पुत्र शिवरतन निवासी इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को इन्दारा से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।